न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00536

मथुरी बाई पुत्री भवाना जी पत्नी जगन्नाथ जाति माली आयु 81 वर्ष निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भूली बाई पुत्री भवाना पत्नी रामनारायण जाति माली आयु 80 वर्ष निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. निर्मला बाई पत्नी शांति लाल जाति माली निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बगतरी तहसील दीगोद में वादिनी एवं प्रतिवादी कम 01 के शामलाती खाते में कुल 05 किता की 1.68 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादिनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 01 का 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी ने उक्त भूमि का विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी कम 01 ने उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी की 1/2 हिस्से की भूमि को पृथक से उसके खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी को उनके हिस्से में प्राप्त 1/2 भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा बिना विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 03 निर्मला ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादिनी द्वारा जिस भूमि के बाबत् दावा पेश किया है उक्त भूमि का विक्रय पत्र प्रार्थिया के पक्ष में दिनांक 12.09.2012 को ही किया जा चुका था तथा विक्रय पत्र की जानकारी वादिनी को होने के उपरानत भी सन् 2013 में बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया गया है । वादिनी उक्त भूमि की खातेदार नहीं रही है । विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादिनी खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2018 के द्वारा वाद वादिनी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2018 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वाद प्रस्तुत करते समय राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का 1/2 हिस्सा दर्ज था व वादिनी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही थी । सहखातेदारों में लगान जमा कराने हेतु विवाद रहता था इसलिए विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था । अपीलान्ट ने अपने हिस्सेदारी की भूमि के बाबत् कालूलाल आत्मज जगन्नाथ को दिनांक 08.06.1992 को मुख्तारआम नियुक्त नहीं किया और न मुख्तारनामा आलेखित किया और न ही नोटेरी करवाया । सन् 1992 में वादिनी अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि कालूलाल को मुनाफे पर दी थी जिसकी लिखा–पढी कालूलाल ने अदालत कोटा में करवायी थी किन्तु कालूलाल ने वादनी अपीलान्ट के अनपढ होने का फायदा उठाकर धोखाधडी पूर्वक मुनाफे के स्थान पर मुख्तारनामा लिखवा लिया जिससे कालूलाल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में वादिनी की अनुपस्थिति में वाद वादिनी खारिज कर दिया । उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 14.08.2018 को अपीलान्ट अपने वकील साहब के पास तारीख पेशी की जानकारी करने गयी तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि वादिनी ने अपने हिस्से की भूमि कालूलाल को मुनाफे पर दी थी । कालूलाल ने वादिनी के अनपढ होने का फायदा उठाकर मुनाफानामा के स्थान पर मुख्तारनामा लिखवा लिया और मुख्तारनामे के आधार बेचान किया है जो कि प्रभावशून्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में वादिनी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है । राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादिनी के द्वारा हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया है । पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 03 के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी संख्या 03 और कालूलाल की उपस्थिति दर्ज की गई है । वादिनी उपस्थित नहीं हुई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दावा वादी खारिज किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा